FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

इनायत उल्ला V/s ईशान उल्ला
किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन नं. 195/प्रा०पत्र/25 सन्

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
20/2/26	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया की प्रकरण से सम्बं. मूल वाद नं. 71/2014 मे दिनांक - 12/06/2015 को वाद वादी खारीज कर काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वाद "प्राथमिक डिक्री" किया गया था। व प्रा.पत्र 78/14 मे कार्यवाही ड्रोप कर दी गई थी। हमारे द्वारा अपील करने पर अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक - 12/6/15 को निरस्त कर दिनांक - 1/11/2017 को कर दिया था व प्रकरण इस न्यायालय मे पुन: दर्ज कर लिया है, परन्तु 212 R.T. Act का प्रा०पत्र पुन: दर्ज नही किया गया है। अत: प्रा०पत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुन: जीवित कर उसी स्टेज पर सुनवाई की जावे। खण्डन में वकील अप्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमियाँ संयुक्त स्वामित्व की है। प्रार्थी 1/2 व अप्रार्थी 1/2 के हिस्सेदार है। काउन्टर क्लेम पेश किया। धारा 188 का दावा खारीज हो गया तो T.I. स्वत: खारीज हो गई। जिसकी इन्होंने अपील नही की है। T.I. को निरस्त हुये 12 वर्ष हो गये है। रिस्टोर नही करवाया है। दावा राजस्व मण्डल निगरानी मे विचाराधीन है। ये नया प्रकरण पेश कर सकते है। प्रा०पत्र खारीज किया जावें। हमने बहस वकील पक्षकारान द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2 के उपनियम 22 मे निर्दिष्ट है कि "वादपत्र को खारीज करने के आदेश को अपीली न्यायालय ने अपास्त कर दिया, तो विचारण न्यायालय द्वारा जारी किया गया अस्थायी (आदेश अपने आप	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पुनः जीवित नहीं हो जाता।"

प्रार्थी द्वारा पूर्व में खारीज प्रकरण की अपील कर इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश को अपास्त नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति में प्रा०पत्र प्रार्थी विधि अनुरूप नहीं होने/पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली